न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

Mut. Rev. No.-33/2025

अजय कुमार सिंह
बनाम्
सुधीर ठाकुर एवं अन्य

–: आदेश :–

09.05.25	प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी अजय कुमार सिंह पिता–अर्जुन प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–गणेशपुर, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–77/2023 में दिनांक–08.08.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन को सुनवाई के बिन्दु पर स्वीकृत करते हुए पक्षकारों को स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के बाद उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा जवाब दाखिल किया गया। उक्त आलोक में Argument हेतु दिनांक 08.04.2025, 15.04.2025 एवं 25.04.2025 को तिथि मुकर्रर की गयी। Argument हेतु निर्धारित तिथि को आवेदक या उनके अधिवक्ता को लगातार अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि उनका इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः आवेदक का वाद में अभिरूचि नहीं रहने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बालूमाथ को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें। लिखाया एवं शुद्ध किया। ह0/09/05 उपायुक्त, लातेहार। ह0/09/05 उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by UTKARSH GUPTA
Date: 2025.05.16 15:41:48 +05:30
Location: 10.93.47.14